सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्वान परियोजना हेतु Alternate ISP के कार्य की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर0के0 सुधाशु, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री नरेन्द्र पाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– राज्य में महत्वपूर्ण विभाग यथा, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, कोषागार, परिवहन, सेवायोजन एवं सचिवालय द्वारा राजकीय कार्य के सम्पादन हेतु स्वॉन कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में बीएसएनएल द्वारा स्वॉन परियोजना हेतु आवश्यक बैण्डविदथ प्रदान की जा रही है। सामान्यतः दुर्गम क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवाऐं बाधित रहती है जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान में समस्त सरकारी कार्य हेतु ई–आफिस का उपयोग किया जा रहा है, जिसका एक्सेस सिर्फ स्वॉन के माध्यम से किया जा सकता है। इस क्रम में स्वॉन में आने वाली बाधा का प्रभाव सरकारी कार्यो पर पडेगा। अतः ई–आफिस एवं स्वॉन पर निर्भर सरकारी कार्यो के सुगम संचालन हेतु वैकल्पिक आईएसपी का प्राविधान आवश्यक है।

2. **बजट प्राविधान** :– योजना हेतु वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–23 लेखाशीर्षक 4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–02–इलेक्ट्रानिक्स –800–अन्य व्यय–15–क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क मद में रू0 5.00 करोड का प्राविधान किया गया है।

3. **योजना प्राविधान** :– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित आई0टी0डी0ए0 द्वारा स्वान परियोजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य मुख्यालय सहित 133 स्वान केन्द्रों के माध्यम से लगभग 1647 राजकीय कार्यालयों को स्वान कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इसी हेतु वैकल्पिक आई0एस0पी0 के प्राविधान हेतु योजना गठित की गयी है। स्वान की निरन्तर उपलब्धता हेतु वैकल्पिक आई0एस0पी0 (ISP) की व्यवस्था के लिए परियोजना के अंतर्गत निम्न प्राविधान किये गयें हैं:–

क0सं0	आवश्यक वैण्डविद्थ (ISP)	स्वान केन्द्रों की संख्या
1	10	53
2	34	60
3	50	6
4	250	13
5	1024	1

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

4.1 वर्तमान में बी0एस0एन0एल0 द्वारा स्वान परियोजना हेतु आवश्यक वैण्डविद्थ प्रदान की गई है। सामान्यतः दुर्गम क्षेत्रों में बी0एस0एन0एल0 की सेवायें बाधित रहने से सरकारी कार्यो में बाधा रहने तथा समस्त सरकारी कार्यालयों में ई0–आफिस का उपयोग करने हेतु स्वान की निरन्तर आवश्यकता हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा वैकल्पिक आई0एस0पी0 (ISP) की आवश्यकता हेतु आगणन तैयार किया गया है।

4.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में स्वान परियोजना हेतु Alternate ISP के कार्य हेतु गठित आगणन के प्रस्ताव पर दिनांक 25–03–21 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये थेः–

4.2.1 स्वान परियोजना के संचालन हेतु Alternate ISP Facility उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के प्राविधान की स्थिति।

4.2.2 स्वान परियोजना के संचालन हेतु Alternate ISP Facility के प्रस्ताव पर उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

4.2.3 उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रशासनिक विभाग द्वारा योजना की आवश्यकता एवं अनुमानित लागत के सन्दर्भ में गठित डी0पी0आर0 धनराशि रू0 561.68 लाख के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

4.2.4 निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा स्वान परियोजना हेतु वैंडर चयन के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये मॉडल आर0एफ0पी0 की Copy उपलब्ध कराई गई है तथा सूचित किया है कि इस आर0एफ0पी0 में Primary leased line के अतिरिक्त एक back up link की व्यवस्था किया जाना आवश्यक किया गया है।

4.2.5 निदेशक, आई0टी0डी0ए0 द्वारा अन्य राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तर प्रदेश द्वारा Alternate ISP की व्यवस्था हेतु जारी प्राविधानों एवं आमंत्रित निविदाओं की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है।

4.3 उत्तराखण्ड राज्य में स्वान परियोजना को वर्ष 2009–10 तक एन0आई0सी0 द्वारा संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2015 से आई0टी0डी0ए0 को स्वान परियोजना की कियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। वर्तमान में बी0एस0एन0एल0 द्वारा UKSWAN PoPs हेतु Point to Point leased line की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रदेश के लगभग 1660 Horizontal office जोड़े गये हैं।

4.4 प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में B.S.N.L. की सेवा Poor होने के कारण सरकारी कार्य बाधित रहने तथा वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में ई–आफिस की व्यवस्था हेतु Alternate ISP की आवश्यकता हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 में कुल 133 स्वान केन्द्रों हेतु कुल प्रतिवर्ष रू0 561.68 लाख का व्यय एवं 5 वर्षो हेतु कुल रू0 2808.40 लाख (टेक्स सहित) का आगणन तैयार किया गया है।

4.5 आई0टी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तावित कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों के अंतर्गत निविदा आमंत्रित कर कार्यो का कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

4.6 प्रस्तावित कार्यो को I.T.D.A. द्वारा 8 माह में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.7 I.T.D.A. द्वारा प्रस्तावित कार्यो हेतु ई0ओ0आई0 के माध्यम से आई0एस0पी0 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसके आधार पर प्रस्तावित परियोजना की दरों का निर्धारण किया गया है।

4.8 प्रस्तावित परियोजना कार्यो हेतु केवल एक अन्य इण्टरनेट सर्विस प्रदाता का चयन किया जाना है।

4.9 प्रस्तावित योजना हेतु विभागीय व्यय समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में रू0 561.68 लाख के व्यय को अनुमोदित व संस्तुत किया गया है।

4.10 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

क0सं0	आवश्यक वैण्डविद्थ (ISP)	स्वान केन्द्रों की संख्या	वार्षिक लागत (कर सहित)
1	10	53	93,81,000
2	34	60	2,12,40,000
3	50	6	28,32,000
4	250	13	1,91,75,000
5	1024	1	3,540,000
	कुल योग		5,61,68,000

परियोजना की कुल लागत :– रू0 561.68 लाख

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.10 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 561.68 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 में अनुमोदित दरों से आच्छादित नहीं है, अतः कार्य निष्पादन एवं दरों के निर्धारण हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.3 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.4 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.4 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
संचिव (प्रभारी)

क्रमशः पृष्ठ–4/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1200/689/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021
देहरादूनः दिनांकः 30, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)